उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 129 –मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–11–मा0सं0–01/2002 (टीसी–2) दिनांक : 16 जनवरी, 2026

1– मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)/मलावन(एटा)।

2– महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0(जल विद्युत इकाई), 12वॉ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता,
मा0सं0/पी0पी0एम0एम0/ईंधन/तापीय परिचालन/वाणिज्य/आर एण्ड एम/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लाक/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– महाप्रबन्धक (लेखा),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– मुख्य अभियन्ता "प्रगति इकाई" उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

विषय :– कार्मिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1420/सैंतालीस–का–5–2025–(1838120) दिनांक 06.01.2026 एवं निगम (मुख्यालय) के आदेश संख्याः 6031–मा0सं0–02/2012 दिनांक 29.09.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत अधिकारियों/अधिकारिकों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रतिवर्ष (01 जनवरी से 31 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों को निर्देश दें कि वह वर्ष 2025 में अर्जित अपना चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण निगम में प्रचलित प्रारूपानुसार 31 जनवरी, 2026 तक ई0आर0पी0 के माध्यम से अपलोड/प्रेषित करा दें अन्यथा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम–24(3) के प्राविधानों के उल्लंघन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी जिसके वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही उक्त शासन के पत्र के समरूपता में जिन कार्मिकों द्वारा नियमानुसार चल–अचल सम्पत्ति का विवरण/सूचना दिनांक 31.01.2026 तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा, उनको ही माह जनवरी–2026 का देय वेतन फरवरी–2026 में भुगतान किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के नियंत्रक प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। साथ ही उपर्युक्त अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों, जिनका अधिष्ठान स्वयं उनके स्तर पर सम्पादित किया जा रहा हो, का अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

क्रमश : 2/–

संख्या : 129 (1) मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।

2– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।

3– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/तापीय परिचालन/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म/डाटाबेस) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

6– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

7– कट फाईल।

आज्ञा से,

16/01/26

(कौशलेन्द्र कुमार)

अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

d/hr1

उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

संख्या : 129 –मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–11–मा0सं0–01/2002 (टीसी–2) दिनांक : 16 जनवरी, 2026

1– मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक,
ओबरा/अनपरा/हरदुआगंज/पनकी/पारीछा/जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा (सोनभद्र)/अनपरा (सोनभद्र)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/पारीछा (झाँसी)/मलावन(एटा)।

2– महाप्रबन्धक (का0 एवं प्रशा0), उ0प्र0राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0(जल विद्युत इकाई), 12वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

3– मुख्य अभियन्ता,
मा0सं0/पी0पी0एम0एम0/ईंधन/तापीय परिचालन/वाणिज्य/आर एण्ड एम/जानपद/पर्यावरण एवं सुरक्षा/न्यू कोल ब्लाक/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

4– महाप्रबन्धक (लेखा),
उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

5– मुख्य अभियन्ता "प्रगति इकाई" उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 तृतीय तल, विद्युत सेवा आयोग भवन, एस0एल0डी0सी0 परिसर, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010

विषय :– कार्मिकों द्वारा प्रत्येक वर्ष नियमित रूप से चल/अचल सम्पत्ति का विवरण प्रस्तुत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं0 1420/सैंतालीस–का–5–2025–(1838120) दिनांक 06.01.2026 एवं निगम (मुख्यालय) के आदेश संख्याः 6031–मा0सं0–02/2012 दिनांक 29.09.2012 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत अधिकारियों/अधिकारिकों द्वारा अपनी (पति/पत्नी या नाबालिग बच्चों के नाम दर्ज सम्पत्ति सम्मिलित करते हुए) चल/अचल सम्पत्ति, उसके प्राप्त होने की तिथि, उसका माध्यम, अनुमानित लागत, आय का स्रोत आदि का विवरण अपनी प्रथम नियुक्ति एवं उसके पश्चात् प्रतिवर्ष (01 जनवरी से 31 जनवरी के बीच) अपने नियुक्ति प्राधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

इस सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों को निर्देश दें कि वह वर्ष 2025 में अर्जित अपना चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी विवरण निगम में प्रचलित प्रारूपानुसार 31 जनवरी, 2026 तक ई0आर0पी0 के माध्यम से अपलोड/प्रेषित करा दें अन्यथा उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक आचरण नियमावली, 1956 के नियम–24(3) के प्राविधानों के उल्लंघन करने हेतु प्रभावी कार्यवाही की जायेगी जिसके वे स्वयं उत्तरदायी होंगे। साथ ही उक्त शासन के पत्र के समरूपता में जिन कार्मिकों द्वारा नियमानुसार चल–अचल सम्पत्ति का विवरण/सूचना दिनांक 31.01.2026 तक प्रस्तुत कर दिया जायेगा, उनको ही माह जनवरी–2026 का देय वेतन फरवरी–2026 में भुगतान किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित विभाग के नियंत्रक प्राधिकारी/आहरण वितरण अधिकारी द्वारा की जाएगी। साथ ही उपर्युक्त अधिकारीगण अपने अधीनस्थ कार्मिकों, जिनका अधिष्ठान स्वयं उनके स्तर पर सम्पादित किया जा रहा हो, का अनुश्रवण कड़ाई से सुनिश्चित करेंगे।

भवदीय,

16/01/26

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

क्रमशः 2/–

संख्या : (1) मा0सं0–01/वि0उ0नि0लि0/2026–तददिनॉक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2– निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/तकनीकी/वित्त/परियोजना एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के स्टाफ ऑफिसर।
3– कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
4– अधीक्षण अभियन्ता/उप महाप्रबन्धक (मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/तापीय परिचालन/टाण्डा वाइंडिग सेल/प्रशिक्षण, उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5– अधिशासी अभियन्ता (रिफॉर्म/डाटाबेस) उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6– लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7– कट फाईल।

आज्ञा से,

(कौशलेन्द्र कुमार)
अधिशासी अभियन्ता (मा0सं0–01)

d/hr1